माडर्न बेकरीज द्वारा बनाए जा रहे माल की मांग

122. श्री हरी सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज, नई दिल्ली के उत्पाद "माडर्न नान" की माग बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसकी खपत बढाने के लिये कोई नई योजना बनाने का सरकार का विचार है और यदि हा तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) देश में पहली बार स्वचालित यंत्र से नान तैयार किए जा रहे हैं। यह परियोजना प्रायोगिक है और भारी मात्रा मे सस्ते दामों पर माल तैयार करने की विकास परियोजना है। इस समय तैयार किया गया नान प्रत्यक्षत: उपभोक्ता को इसके मौजूदा स्वरूप में मान्य नही है और इसकी किस्म में सुधार करने की आवश्यकता है।

(ग) माडर्न बेकरीज इस सम्बन्ध में सूक्ष्मता से समीक्षा कर रही है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया आदि में और अनुसन्धान तथा सशोधन करना शामिल है ताकि उपभोक्ता को मान्य उत्पाद का विकास किया जा सके ;

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT RE. REPORT OF PIPELINES INQUIRY COMMISSION (TAKRU COMMISSION), REPORT OF PIPELINES INQUIRY COMMISSION (AUGT. 1975) FINDING, ETC. IN THE REPORT.

THE MINISTER OF PETROLEUM (SHRI K. D. MALAVIYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:

(1) A statement (Hindi and English versions) regarding Report submitted by the Pipelines Inquiry Commission (Takru Commission) which was set up in August, 1970, to inquire into certain matters connected with the laying of Gauhati-Siliguri and Haldia-Barauni-Kanpur Pipelines of Indian Oil Corporation.

(2) Report of the Pipelines Inquiry Commission (August, 1975), under subsection (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952

(3) Findings and Important Observations contained in the Report of the Pipelines Inquiry Commission (Hindi and English versions).

[*Placed in Library. See No.* LT-10347/76].

ORDINANCES UNDER ARTICLE 123(2)(A) OF THE COMMISSION

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) issued by the President under provision of article 123(2)(a) of the Constitution.

(1) The Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1976 (No. 1 of 1976) promulgated